FORM NO – 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

प्रार्थी/परिवादी
श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधि.
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि.
सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त
कमान सिंह पुत्र हर सिंह जी,
जाति–राजपूत, निवासी–H G ग्रेन्ड्योज,
होटल कम्पाउण्ड, माउन्ट आबू
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर)

फर्म: होटल H G ग्रेन्डयोज, पोलो ग्राउण्ड के सामने, गुरुद्वारे के पास, मांउन्ट आबू एवं अन्य दो

किस्म मुकदमा – धारा 26(2)(ii) एवं 51
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

प्रकरण संख्या: 16 /2021

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
23.2.2021	श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii) एवं 51 के तहत प्रतिवादी अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 23.2.2021 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 5.4.2012 के द्वारा जिलें में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णय आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरण में आज दिनांक 23.2.2021 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी कमान सिंह पुत्र हर सिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– एच जी ग्रेन्ड्योज होटल कम्पाउन्ड, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही, मैनेजर एवं खाद्य कारोबारकर्ता, Hotel H G GRANDIOSE, पोलोग्राउन्ड के सामने, गुरुद्वारे के पास, माउन्ट आबू, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही उपस्थित हुये। प्रतिवादी कमान सिंह ने प्रतिवादी संख्या– 2 (पूनम सिंह पत्नी श्री विजेन्द्र सिंह चौधरी, निवासी– होटल [illegible], माचगांव, माउन्ट आबू, खाद्य कारोबारकर्ता [illegible], Hotel H G GRANDIOSE, पोलोग्राउन्ड के [illegible], गुरुद्वारे के पास, माउन्ट आबू एवं प्रतिवादी संख्या [illegible] चौधरी पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह चौधरी निवासी होटल मरुधर कम्पाउन्ड, ...लगातार	23/2/21

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:00 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 16/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल मे जारी हुए

मांचगांव, माउन्ट आबू, खाद्य कारोबारकर्ता एवं भागीदार, Hotel H G GRANDIOSE, पोलोग्राउन्ड के सामने, गुरुद्वारे के पास, माउन्ट आबू) का अधिकृत पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें प्रतिवादी कमानसिंह को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 तथा Hotel H G GRANDIOSE की ओर से इस प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रतिवादी कमान सिंह को नोटिस पढ़कर सुनाया गया एवं न्याय निर्णय आवेदन पत्र की एक प्रति दिलवाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी कमान सिंह ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 11.11.2020 को जिस पनीर का नमूना जांच के लिये लिया गया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार सब स्टेंडर्स पाया गया है वह हमारी फर्म से लिया गया है। प्रकरण में फर्म की ओर से जवाब प्रस्तुत करने के लिये मुझे अधिकृत किया गया है। यह कि जिस पनीर का नमूना जांच हेतु लिया है वह बाजार से लिया गया था तब उसमें हमारी ओर से कुछ भी नही मिलाया गया था। अब हमने उस दुकानदार से पनीर लेना बंद कर दिया है तथा अमूल का पनीर उपयोग में लेते है, भविष्य में इस प्रकार की गलती दुबारा नही करेंगे। यह हमारी प्रथम गलती है जिसे हम स्वीकार करते है। कृपया प्रथम गलती को माफ करते हुए इस प्रकरण से हमें मुक्त करावे।

प्रकरण में प्रतिवादी कमानसिंह द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर जुर्म/गलती स्वीकार कर ली जाने से प्रकरण में दोनों पक्षों की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने अमानक खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय किया है, इसलिये प्रतिवादी पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु दिनांक 11.11.2020 को समय 6. 15 पी.एम. पर फर्म Hotel H G GRANDIOSE, पोलोग्राउण्ड के सामने, गुरुद्वारा के सामने, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर [illegible] के हैसियत से प्रतिवादी कमान सिंह पुत्र [illegible]जी, जाति– राजपूत, निवासी– Hotel H G GRANDIOSE, [illegible], माउन्ट आबू उपस्थित मिले, जो होटल में आम [illegible] को खाद्य पदार्थ पनीर का खाना व सब्जी बनाकर बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा होटल के निरीक्षण के दौरान आम जनता के

......लगातार

मजि. [illegible] मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:00 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 16/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल मे जारी हुए

उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ पनीर के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए होटल के अन्दर, स्टील की ट्रे में बिक्री हेतु मौजूद पनीर लगभग 2 किलोग्राम में से एक किलोग्राम पनीर जांच हेतु एक साफ सूखे खाली भिगोनें में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु मौके पर उपस्थित गवाह के समक्ष नियमानुसार कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-1275 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S./951/Act/2020/ 949 दिनांक 21.12.2020 के अनुसार अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि Hotel H G GRANDIOSE, पोलोग्राउण्ड के सामने, गुरुद्वारा के सामने, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में मैनेजर एवं खाद्य कारोबाकरर्ता प्रतिवादी कमान सिंह ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत Hotel H G GRANDIOSE, पोलोग्राउण्ड के सामने, गुरुद्वारा के सामने, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 12,000/– (अक्षरे रुपये बारह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, उक्त प्रतिवादी कमान सिंह को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। माफिक निर्णय प्रतिवादी कमान सिंह ने Hotel H G GRANDIOSE, पोलोग्राउण्ड के सामने, गुरुद्वारा के सामने, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर आरोपित जुर्माना राशि रुपये 12,000/– (अक्षरे रुपये बारह हजार मात्र) [illegible] ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी डी.डी. नंबर 674880 दिनांक [illegible].2021 [illegible] इस न्यायालय में जमा करवाया। अतः इस डी.डी. की राशि जरिये चालान राजकोष में संबंधित मद में जमा करवाई जाकर पत्रावली दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:07:00 IST
Reason: SelfAttested

23/2/2021

(गितेश श्री मालवीया)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.